(VI)

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC 3, SUB SEC (i)

Appearing on Page Nos. 486—487
Dated 17-2-96

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1996

सा०का०नि० 83.—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 और धारा 200 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (संशोधन) नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 के अध्याय 4 के नियम 12 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) विशेष अनुदेशों के सिवाय कोई इंजन या स्वनोदित (सेल्फ प्रोपेल्ड) वाहन किसी गाड़ी को स्टेशन सीमा के बाहर नहीं ढकेलेगा और ऐसा करते समय उसकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी;

परन्तु यह उपनियम ऐसी गाड़ी के लिए लागू नहीं होगा जिसका सबसे आगे वाला वाहन चालन उपस्करणों से सुसज्जित है और जिसे अनुमोदित [विशेष अनुदेशों के अधीन परिचालित किया जा सकता है,

परन्तु यदि किसी गाड़ी के पीछे सहायक इंजन को गाड़ी के साथ जोड़े बगैर, अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन चलाने कीअनुमति दी गई है तो उस पर यह उपनियम लागू नहीं होगा,

परन्तु यह और भी कि आपात स्थिति को छोड़कर कोई भी गाड़ी जिसमें निरन्तर निवर्ति/ब्रात ब्रैक नहीं लगे हैं, स्टेशन सीमा से बाहर नहीं ढकेली जाएगी,

परन्तु यह और कि गश्ती गाड़ी (पैट्रोलट्रेन) या खोज गाड़ी (सर्च लाइट स्पेशल) को, जिसमें एक या अधिक वाहन इंजन के आगे लगे हैं, अधिक से अधिक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की अनुमति दी जा सकती है।"

[सं० 91/सिफ्टी (ए एंड आर)/29/6]

सी०एल० कॉंघे, सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड,
तथा पदेन सचिव

टिप्पण :—मूल नियम सा०का०नि०सं० 445(अ), तारीख 21 जुलाई, 1981 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे :—

(1) सा०का०नि० 320, तारीख 16 अप्रैल, 1983
(2) सा०का०नि० 352 तारीख 30 अप्रैल, 1983
(3) सा०का०नि० 514(अ), तारीख 27 जून, 1983
(4) सा०का०नि० 476(अ), तारीख 28 जून, 1984
(5) सा०का०नि० 245, तारीख 23 मई, 1992

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 1996

G.S.R. 83.—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 60 read with section 198 and clause (a) of sub-section (2) of section 200 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Amendment) Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, in Chapter IV, in rule 12, for sub-rule (1), the following shall be substituted namely :—

"(1) No engine or self-propelled vehicle shall push any train outside station limits except in accordance with special instructions and at a speed not exceeding 25 kilometres an hour;

Provided that this sub-rule shall not apply to a train the leading vehicle of which is equipped with driving apparatus and which may be operated under approved special instructions;

Provided further that this sub-rule shall not apply to an engine assisting in rear of a train, which may be permitted under approved special instructions to run without being coupled to the train;

Provided also that no train which is not equipped with continuous vacuum|air brake shall be pushed outside station limits except in case of emergency;

Provided further that a "Patrol" or "Search light" special with one or more vehicles in front of the engine may be permitted to run at a maximum speed of 40 kilometres an hour."

[No. 91|Safety (A&R)|29|6

C. L. KAW, Member Traffic,
and Ex-Officio Secy.

Note :—The principal rules were notified vide No. GSR 445(E), dated the 21st July, 1981 and were subsequently amended vide No.

(1) GSR 320 dated the 16th April, 1983,

(2) GSR 352 dated the 30th April, 1983,

(3) GSR 514(E) dated the 27th June, 1983,

(4) GSR 476(E) dated the 28th June, 1984, and

(5) GSR 245 dated the 23rd May, 1992.

IndiaCode

MGIPRRND—316 M of RB/96—VIII—18-3-96—1000